

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वनमण्डल पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र दमुआ के विभिन्न ग्रामों के रकबा 206.826 हेक्टेयर वनभूमि में तानसी कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को वनभूमि व्यपवर्तन करने की अनुशंसा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर इस शर्त पर की जाती है कि मशीनों द्वारा खनन एवं परिवहन से होने वाली ध्वनि के कारण वन्यप्राणियों की गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को कम किये जाने या समाप्त किये जाने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर से अध्ययन कराया जाकर वैज्ञानिक तरीके से उक्त प्रभाव को कम करने के कदम उठाया जा सकें।
----	---	----	---

दिनांक: 06.07.2023

स्थान: भोपाल

(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग